

**बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(आवंटन)-02 / 2025

०५ (अज२)

/खाद्य,पटना, दिनांक ०४/०५/२०२६

प्रेषक,

विभूति रंजन चौधरी
निदेशक-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना, बिहार।

विषय:- मांग सं०-18 के मुख्य शीर्ष-3456 सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष-0004 पी० डी० एस० सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड 18-3456001020004 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु **कुल रुपये 8,48,76,000/- (आठ करोड़ अड़तालीस लाख छिहत्तर हजार) मात्र** के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक-236 दिनांक-09.03.2026, पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 एवं पत्रांक-2561/वि० दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने हेतु **कुल रुपये 8,48,76,000/- (आठ करोड़ अड़तालीस लाख छिहत्तर हजार) मात्र** को आवंटित करते हुए व्यय करने की अनुमति दी जाती है।

क्र०	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आय-व्यय उपबंध	वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु आवंटित राशि
1	0004 28 02 संविदा सेवाएँ	27,13,20,000	8,48,76,000

2. यह राशि मांग सं०-18 के मुख्यशीर्ष-3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष-0004 पी० डी० एस० सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं०-18-3456001020004 के विषयशीर्ष 0004.28 02 संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकलनीय होगी, जो निम्नवत है :-

क्र०	जिला का नाम	जिलावार प्रखण्ड की सं०	जिलावार अनुमंडल की सं०	कार्यापालक सहायक	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	जिला पदाधिकारी पटना	23	6	29	3828000
2	जिला पदाधिकारी नालन्दा	20	3	23	3036000
3	जिला पदाधिकारी भोजपुर	14	3	17	2244000
4	जिला पदाधिकारी बक्सर	11	2	13	1716000
5	जिला पदाधिकारी रोहतास (सासाराम)	19	3	22	2904000
6	जिला पदाधिकारी कैमुर (भभुआ)	11	2	13	1716000
7	जिला पदाधिकारी गया	24	4	28	3696000
8	जिला पदाधिकारी औरंगाबाद	11	2	13	1716000

क्र०	जिला का नाम	जिलावार प्रखण्ड की सं०	जिलावार अनुमंडल की सं०	कार्यापालक सहायक	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
9	जिला पदाधिकारी नवादा	14	2	16	2112000
10	जिला पदाधिकारी जहानाबाद	7	1	8	1056000
11	जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर	16	2	18	2376000
12	जिला पदाधिकारी सीतामढी	17	3	20	2640000
13	जिला पदाधिकारी शिवहर	5	1	6	792000
14	जिला पदाधिकारी वैशाली	16	3	19	2508000
15	जिला पदाधिकारी मोतीहारी (पू०चम्पारण)	27	6	33	4356000
16	जिला पदाधिकारी बेतिया (प०चम्पारण)	18	3	21	2772000
17	जिला पदाधिकारी सारण (छपरा)	20	3	23	3036000
18	जिला पदाधिकारी सीवान	19	2	21	2772000
19	जिला पदाधिकारी गोपालगंज	14	2	16	2112000
20	जिला पदाधिकारी दरभंगा	18	3	21	2772000
21	जिला पदाधिकारी मधुबनी	21	5	26	3432000
22	जिला पदाधिकारी समस्तीपुर	20	4	24	3168000
23	जिला पदाधिकारी सहरसा	10	2	12	1584000
24	जिला पदाधिकारी सुपौल	11	4	15	1980000
25	जिला पदाधिकारी मधेपुरा	13	2	15	1980000
26	जिला पदाधिकारी भागलपुर	16	3	19	2508000
27	जिला पदाधिकारी बाँका	11	1	12	1584000
28	जिला पदाधिकारी मुंगेर	9	3	12	1584000
29	जिला पदाधिकारी शेखपुरा	6	1	7	924000
30	जिला पदाधिकारी लखीसराय	7	1	8	1056000
31	जिला पदाधिकारी जमुई	10	1	11	1452000
32	जिला पदाधिकारी खगड़िया	7	2	9	1188000
33	जिला पदाधिकारी बेगुसराय	18	5	23	3036000
34	जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ	14	4	18	2376000
35	जिला पदाधिकारी अररिया	9	2	11	1452000
36	जिला पदाधिकारी किशनगंज	7	1	8	1056000
37	जिला पदाधिकारी कटिहार	16	3	19	2508000
38	जिला पदाधिकारी अरवल	5	1	6	792000
39	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी	-	-	8	1056000
कुल योग		534	101	643	84876000

3. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अनुमण्डल आपूर्ति कार्यालयों को अपने स्तर से उपावंटन निर्गत करेंगे तथा उसकी सूचना विभाग तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी) द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में सम्बद्ध कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि की इकाईवार विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

6. राशि का भुगतान कार्यपालक सहायको के तैयार पैन्ल से संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायको/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरो को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक-206 दिनांक-29.01.2024 द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय नहीं हो सकने वाली राशि का प्रत्यपण ससमय आवश्यक कर दिया जाए।

विश्वासभाजन,

8/4/26
निदेशक-सह-विशेष सचिव।
/खाद्य,पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(आवंटन)-02 / 2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/4/26
निदेशक-सह-विशेष सचिव।
/खाद्य,पटना, दिनांक-8/04/2026

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(आवंटन)-02 / 2025

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/4/26
निदेशक-सह-विशेष सचिव।
/खाद्य,पटना, दिनांक-8/04/2026

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(आवंटन)-02 / 2025

प्रतिलिपि:-सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी (अपूर्ति) पटना/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/4/26
निदेशक-सह-विशेष सचिव।
/खाद्य,पटना, दिनांक-8/04/2026

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(आवंटन)-02 / 2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा-01 एवं 05 (लेखा शाखा), एवं आई0 टी0 मैनेजर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/4/26
निदेशक-सह-विशेष सचिव।

Handwritten mark